प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

परामर्शदाता(न्यायिक),
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली।

संख्याः321 /21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024–25 दिनांक पौड़ी जनवरी 08 ,2025

विषयः– विधिक आवेदन सं0– 123/2024 में मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

——

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05–12–2024 को पारित आदेश जिसके द्वारा विधिक आवेदन सं0– 123/2024 में मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 29–05–2024 के अनुसार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2– इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23–09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई हैः–

1–वर्तमान में गार्बेज डाम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2–नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डो में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3–ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को अधिग्रहित किया गया है, उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4–उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0–3898/886 /SBM/SWM/ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5–पौड़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0–32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है, इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6–वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदायें आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को ऊपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छंटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये है, जिसमें वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थाये की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनांवटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति /धनांवटन हेतु भेजी गई है। SWM के कियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है, तब तक वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न–यथोपरि।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली।

2–सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

R 12/275

कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्याः– 1078/ न0पा0प0 /पौड़ी दिनांक 13 जनवरी 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

विषयः– विधिक आवेदन सं0–123/2024 में मूल आवेदन सं0–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– पत्र संख्या E-17202/21 –प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक 11 दिसम्बर, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या E-17202/21 प्रशा0अधि0 (स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 का अनुपालन तैयार कर प्रेषित किया जाना है, उक्त प्रश्नगत प्रकरण का अनुपालन संकलित कर मूल में आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

अतः महोदय, आख्या आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

13/1/25

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– 1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक महोदय, नगर पालिका परिषद पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित विधिक आवेदन सं0–123 / 2024 में मूल आवेदन सं0–281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 मे योजित विधिक आवेदन सं0–123 / 2024 मे मूल आवेदन सं0–281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29–05–2024 के कम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20–09–2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23–09–2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है–

1–वर्तमान मे गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौडाई बढ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2–नगर मे ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3–ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4–उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0–3898 / 886 / SBM /SWM / ली0वे0 / 2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5–पौडी में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं0–32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6–वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदायें आमंत्रित की गई है, ताकि गार्बेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छंटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं, जिसमें वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान गार्बेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्त व्यवस्थाये की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनांवटन के लिए शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति / धनांवटन हेतु भेजी गई है। SWM के कियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है। तब तक वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ही उपरोक्तानुसार गार्बेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(एस0पी0 जोशी) अधिशासी अधिकारी न0पा0परि0पौड़ी।	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून।	(दीपक रामचन्द्र शेट) संयुक्त मजिस्ट्रेट (बा0) पौड़ी।	(स्वप्निल अनिरूद्ध) प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

4511

DM Pauri

nail

ORDER passed in MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 123/2024 In Original Application No. 281/2024

Mon, Dec 09, 2024 04:53 PM

1 attachment

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Subject : ORDER passed in MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 123/2024 In Original Application No. 281/2024

To : DM Pauri <dm-pau-ua@nic.in>, msukpcb@gmail.com, msukpcb@yahoo.com, nagarpalikapauri@gmail.com

Cc : mvermadv@gmail.com, advrahulverma9999@gmail.com, nagarpalikapauri@gmail.com

OC/LBC

DM
10.12.24

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the Order dated 05/12/2024 **passed in MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 123/2024 In Original Application No. 281/2024 Kishor Bahuguna Applicant Versus State of Uttarakhand Respondent(s).** for your kind perusal & necessary action.

It is also intimated have that, henceforth no pleadings/ report/ documents etc in pending case will be accepted except through E-filing module of NGT.

Pleadings/ report/ documents, etc. filed through E-mail will not be taken on record, unless otherwise directed.

भवदीय / Regards
परामर्शदाता (न्यायिक) / Consultant (Judicial)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण / National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi - 110001

Kishor Bahuguna.pdf
115 KB